

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इसमें जारी हुए
26 ⁰⁷ / ₂₀₂₃	<p>पत्रावली पेश हुई P.O. सा. आर. ओ. मिरांके चित्तौड़गढ़ पधारण से अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 16/8/23 को पेश की जावे P.O. मिरांके</p>	
16 ⁰⁸ / ₂₃	<p>पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकारान उपस्थित। परिष्कार व सरकार तहसीलदार वावतमाय द्वारा फर रुमांक रिपोर्ट 2023/625 दिनांक 16 जून 2023 से जवाब व मौला रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसकी एक प्रति वकील जापी के द्वारा गयी जवाब व मौला रिपोर्ट आशका की गयी पत्रावली वास्तु वहस अन्तिम दिनांक 13/09/2023 को पेश है।</p>	<p>SR.0</p>
13 ⁰⁹ / ₂₃	<p>पत्रावली पेश हुई P.O. सा. आर. ओ. मिरांके चित्तौड़गढ़ पधारण से अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 27/09/23 को पेश की जावे P.O. मिरांके</p>	
27 ⁰⁹ / ₂₃	<p>पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकारान उपस्थित। वकील जापी ने वहस करने हेतु फरकार वाद्य जो दिया जाता है पत्रावली वास्तु वहस अन्तिम दिनांक 12/10/2023 को पेश है।</p>	<p>SR.0</p>
12 ¹⁰ / ₂₀₂₃	<p>पत्रावली पेश हुई उभय पक्षकारान उपस्थित। वकील जापी द्वारा फरकार धारा-251 पर वहस अन्तिम अन्तिम उभय पक्षको सजा दिया</p>	

कबील प्राची के कक्ष के दौरान तहसीलदार रावतभाय
द्वारा प्राप्त रिपोर्ट अनुसार रास्ता दर्ज करने हेतु
सहमति पत्र की। उक्त पत्र की कक्ष पर मक
किया गया। प्रा.पत्र में उक्ति तथ्यों का अवलोकन कर
पत्रावली में शामिल दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।
प्राची का प्रा.पत्र धारा-251 का स्वीकार किया योग्य
पाए जाने से स्वीकार किया जाता है। प्रा.पत्र धारा-
251 का निर्णय प्रपत्र से लिखा जाकर चुले -
न्यायालय की रजिस्ट्रार में भुगतान किया। निर्णय की
प्रति पालनाथ तहसीलदार रावतभाय के मिजाबाजी जावे।
पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर दर्ज रजिस्ट्रार के
नम्बर से कम की जाकर शामिल दफ्तार है।

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चिन्ताड़गढ़)